

OFFICE OF THE MINISTER OF EDUCATION & TRANSPORT  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No.F. 19 (105)/Tpt/Sectt./04/205

Dated: 15-6-09

To,

The Secretary,  
Delhi Legislative Assembly,  
Old Secretariat,  
Delhi.


Sir,

I intend to lay on the Table of the House a copy off the following papers:-

1. Notification no. 19 (80)/Tpt/Sectt/2008/733 dated 11-11-2008 which is regarding compounding of traffic offenses.
2. Notification no. PCO(STA)/DTC Cell/06/07/Pl.II/482 dated 11-12-2008 which is regarding reciprocal common transport agreement among the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and U.P.
3. Notification no. 23 (127)/2007/Tpt/Ops/92 dated 24-03-2009 which is regarding amendments of DMV Rules, 1993.

250 copies each of notifications are sent herewith.

Yours faithfully,

  
( ARVINDER SINGH )  
MINISTER TRANSPORT

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाश-मार्थ)  
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
 (परिवहन विभाग)  
 5/9 अंडर हिल रोड, नयी दिल्ली.

स.फा. 19(80)/परिवहन/सचि0/2008/733

दिनांक: 11 नवम्बर, 2008

### अधिसूचना

स.फा. 19(80)/परिवहन/सचि0/2008/- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन किये गये तथा अनुसूची के समरूप कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट राशि सहित कॉलम 2 में उल्लिखित धारा/धाराओं के अधीन उत्तरदायी यातायात अपराधों के समाधान के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 4 में यथा उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं :-

क्र० सं०	धारा जिसके अधीन अपराध दहनीय है	विनिर्दिष्ट दंड के लिये राशि (रुपये)	वे अधिकारी जिन्हें समाधान करने का अधिकार प्रदत्त है
1	2	3	4
1	177 (प्रथम अपराध)	90.00	दिल्ली यातायात पुलिस के प्रधान सिपाही अथवा इससे ऊपर के रैंक के तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही तथा इससे ऊपर के अधिकारी
2	177 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	270.00	- वही -
3	178 (1) और (2)	450.00	दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
4	178 (3) (क)	45.00	- वही -
5	178 (3) (ख)	180.00	- वही -
6	179 (1) और (2)	450.00	- वही -
7	180	900.00	- वही -
8	181	450.00	- वही -
9	182 (1)	450.00	- वही -
10	182 (2)	90.00	- वही -
11	183 (1) (प्रथम अपराध)	360.00	- वही -
12	183 (1) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	900.00	- वही -
13	183 (2) (प्रथम अपराध)	270.00	- वही -
14	183 (2) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	450.00	- वही -
15	184 (प्रथम अपराध)	900.00	- वही -

*(Handwritten Signature)*

16	184 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	1800.00	- वही -
17	186 (प्रथम अपराध)	180.00	- वही -
18	186 (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	450.00	- वही -
19	189	450.00	- वही -
20	190 (2) (प्रथम अपराध)	900.00	- वही -
21	190 (2) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	1800.00	- वही -
22	191	450.00	परिवहन विभाग के सहायक उप निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
23	192 (1) (प्रथम अपराध)	4500.00	दिल्ली वातायत पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रैंक के अधिकारी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तथा परिवहन विभाग में सहायक उप-निरीक्षक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
24	192 (1) (द्वितीय अथवा परवर्ती अपराध)	9000.00	- वही -
25	194 (1)	2000 0011000 अतिरिक्त गार का प्रति द्वान ऑफ गार का प्रभार	परिवहन विभाग के सहायक उप-निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी
26	194 (2)	2700.00	- वही -
27	196	900.00	- वही -
28	198	90.00	- वही -

2. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समाधान की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "मुख्य शीर्ष 0041, वाहनों पर कर, 101-आईएगवी (शुल्क एवं बड)", में जमा की जायेगी।
3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रकाशित होगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अधीन 22 दिसम्बर, 1998 को जारी पूर्व अधिसूचना रद्द समझी जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(आर० के० वर्मा)  
सचिव एवं आशुक्त (परिवहन)

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA -ORDINARY]  
 GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
 (TRANSPORT DEPARTMENT)  
 5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

NO.F.19(80)/Tpt./Sectt/2008/733

Dated the 11<sup>th</sup> November, 2008.

**NOTIFICATION**

NO.F.19(80)/Tpt./Sectt/2008/733 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200, read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the officers as mentioned in column No. 4 of the Schedule given below to compound traffic offences committed under the said Act and liable under the section/sections mentioned in column 2, with the amounts specified in the corresponding column 3 of the Schedule:-

Sl.No	Section under which offence is punishable	Amount for composition specified (Rs.)	Officers to whom authority is conferred to compound
1	2	3	4
1	177 (1 <sup>st</sup> offence)	90.00	Officers of the rank of Head Constable or above of Delhi Traffic Police and Head constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
2	177 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	270.00	-do-
3	178 (1) or (2)	450.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
4	178 (3) (a)	45.00	-do-
5	178 (3) (b)	180.00	-do-
6	179 (1) or (2)	450.00	-do-
7	180	900.00	-do-
8	181	450.00	-do-
9	182 (1)	450.00	-do-
10	183 (3)	90.00	-do-
11	183 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	350.00	do
12	183 (1) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	900.00	-do-
13	183 (2) (1 <sup>st</sup> offence)	270.00	-do-
14	183 (2) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	450.00	-do-

*AGV*

Contd.....2

15	181 (1 <sup>st</sup> offence)	900.00	-do-
16	181 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	1800.00	-do-
17	186 (1 <sup>st</sup> offence)	180.00	-do-
18	186 (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	350.00	-do-
19	189	450.00	-do-
20	190 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	900.00	-do-
21	190 (2) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	7800.00	-do-
22	191	450.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of the Transport Department.
23	192 (1) (1 <sup>st</sup> offence)	4500.00	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector and above in the Delhi Traffic Police and Assistant Sub-Inspector and above of the Transport Department
24	192 (1) (2 <sup>nd</sup> or subsequent offence)	9000.00	-do-
25	194 (1)	2000.00 + 1000 per tonne of excess load + charges of off load	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector or above of the Transport Department.
26	194 (2)	2700.00	-do-
27	196	900.00	-do-
28	198	90.00	-do-

2. The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-1MV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

3. This notification comes into effect from the date of its publication in the official Gazette. The previous notification issued on 22<sup>nd</sup> December, 1998 under section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 cease to have effect.



By order and in the name of the  
Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi



**R.K. Verma**  
Secretary cum Commissioner (1pt)

एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-19ए, एल-19एफ, एल-20, एल-49ए, एल-52, एल-52एफई, एल-52एफके, एल-53, सीएलडब्ल्यू-1, एफएलडब्ल्यू-2, एच-1 (भाग) और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

क्रम सं. दिनांक	दिन
1. 13-12-2008 (सांघ 5 बजे तक)	शनिवार
2. 15-12-2008 (मतगणना दिवस)	सोमवार

इस प्रशासन की दिनांक 13-12-2007 की अधिसूचना सं.एफ 10(56)96-97/आईएसएफएल/आब./6216-6231 के अनुसार मद्य-निषेध दिवसों के अलावा उपरोक्त दिन मद्य-निषेध दिवस होंगे।

आर. एन. पिल्लै, आयकारी आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE  
NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2008

No. F. 10(56)96-97/IMFL/Ex/7116-32.— In pursuance of the provision of sub-rule (12) of rule 33 of the Delhi Liquor Licence Rules, 1976, it is hereby ordered that the following dates/days shall be observed as "Dry Days" in the Assembly Constituency going for bye election i.e. AC-39 Rajender Nagar by all L-1, L-1A, L-1F, L-2, L-2A, L-2F, L-2FE, L-2FG, L-4, L-4B, L-4F, L-5, L-5A, L-5B, L-5F, L-6, L-6A, L-7, L-7F, L-9, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-17, L-19, L-19A, L-19F, L-20, L-49A, L-52, L-52FE, L-52FG, L-53, CLW-1, FLW-2, H-1 (Bhang) licensees and opium vends located in the above referred constituency.

Sl. No.	Date	Day
1.	11-12-2008 from 5.00 P.M. onwards	Thursday
2.	12-12-2008	Friday
3.	13-12-2008 upto 5.00 P.M.	Saturday
4.	On the counting day i.e. on 15-12-2008	Monday

The following dates/days shall be observed as "Dry Days" in the adjoining constituencies of AC-39 Rajender Nagar i.e. AC-40 New Delhi, AC-38 Delhi Cantt, AC-28 Hari Nagar, AC-25 Moti Nagar, AC-23 Karol Bagh and AC-24 Patel Nagar by all L-1, L-1A, L-1F, L-2, L-2A, L-2F, L-2FE, L-2FG, L-4, L-4B, L-4F, L-5, L-5A, L-5B, L-5F, L-6, L-6A, L-7, L-7F, L-9, L-10, L-11, L-12, L-15, L-16, L-17, L-19, L-19A, L-19F, L-20, L-49A, L-52, L-52FE, L-52FG, L-53, CLW-1, FLW-2, H-1 (Bhang) licensees and opium vends located in the above referred constituency.

Sl. No.	Date	Day
1.	13-12-2008 upto 5-00 P.M.	Saturday
2.	On the counting day i.e. on 15-12-2008	Monday

The above shall be observed as "Dry Days" in addition to the Dry Days notified vide Notification No. F. 10(56)96-97/IMFL/Excise/6216-6231 dated 13-12-2007.

R. M. PILLAI, Commissioner (Excise)

राज्य परिवहन प्राधिकरण

(परिवहन विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2008

सं. फा. पीसीओ (एस्टीए)/परिवहन शाखा/06/07/पोर्ट-II/482.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल पूर्व प्रकाशनों के पश्चात् एवं प्राप्त हुई किन्हीं भी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करते हुए एतद्वारा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें पड़ोसी राज्यों के वे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं किन्हीं क्षेत्रीय योजना-2021 में परिभाषित किया गया है, में सड़क वाहनों के निर्वाह परिचालन हेतु पारस्परिक सामूहिक परिवहन समझौते को प्रकाशित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

## हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच परस्पर सामान्य परिवहन समझौता

जम्मेके प्रथमी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जिसमें दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के भाग शामिल हैं, जैसा क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में परिभाषित तथा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, के विकास के हितों को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी इन राज्यों के बीच परस्पर सामूहिक समझौते के द्वारा अन्दर राज्य यातायात के निर्बाध एवं सुचारु आवागमन की अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों को दर्शाने वाला मानचित्र परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

अब इसलिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर राजी हैं—

यह समझौता हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें (जिन अनिवार्यता में उनके उत्तराधिकारी/कार्यालय के पदाधिकारी शामिल होंगे) के बीच आज दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को किया जाता है।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज आर्थिक विकास तथा प्रवाहरण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों तथा सामान के अन्दर राज्य यातायात के निर्बाध तथा सुचारु आवागमन को प्रोत्साहित करने तथा उनकी गतिविधियों के विनिर्माण, सम्न्वय एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच तथा मध्यम से परस्पर सामूहिक समझौता किया जाना आवश्यक है।

और जबकि इसके पक्ष सहमत है कि यह समझौता इस दिश्य पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किए गए सभी निचले समझौतों का अधिकरण करता है। इस समझौते के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू अन्य सभी समझौतों का निरस्तीकरण होगा।

अब यह विलेख साक्ष्य है और सभी पक्ष निम्नलिखित रूप से परस्पर सहमत हैं—

1. समझौता उत्तमाल प्रभाव से लागू होगा। किसी क्षेत्र में चाहनों के आवागमन के लिए निर्दिष्ट न्यायालय के आदेशों/दिशा-निर्देशों का पालन होगा।

## 2. काट्रेक्ट कैरिज परमिट:

## (i) मोटर कॅब / टैक्सी परमिट (गैर अस्थायी परमिट) -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित यूरो मानकों का अनुसरण कर स्वच्छ ईंधन (सीएनजी), उपयोग करने वाले तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कॅब/टैक्सी के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित, यदि कोई हो, इन राज्यों में से किसी एक में जारी काट्रेक्ट कैरिज परमिटों पर भागीदार राज्यों द्वारा प्रतिद्वंद्वीकरण अपेक्षित होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूरो मानकों का अनुसरण कर स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) उपयोग करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में पंजीकृत मोटर कॅब/टैक्सियों बिना प्रतिबंध के चल सकती हैं तथा यात्री कर और सड़क कर से छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। केवल सीएनजी ईंधन पर चलने वाले आटो रिक्शा तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा बाद में घटक क्षेत्र में यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में पंजीकृत आटो रिक्शा बिना प्रतिबंध के चल सकती हैं तथा यात्री कर और सड़क कर से छूट प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी राज्य में पंजीकृत वाहन पर भुगतान किए गए परमिट प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त परमिट प्रभार नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत एवं प्रदेशों की सीमाओं के आर-पार जाने-जाने वाली आटो रिक्शाओं एवं टैक्सियों के भ्रमण आवागमन के लिये उन्हें कवर बॉले तथा लोगो दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत टैक्सी/आटो रिक्शाओं को एनसीआर सीमा में प्रविष्टि के लिये किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आटो रिक्शाओं को अंतरराज्यीय परिवहन परिशिष्ट-III में दी गई श्रेणियों के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली में नगर/जिलावार परमिट/कट/क्षेत्रों का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों अथवा उनका विभागों द्वारा उनके जिलों/नगरों की गति/शामर्थ्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि इन वाहनों के परमिटों पर प्रतिद्वंद्वीकरण करवाए जाने आवश्यक होगा। दिल्ली में अन्तरराज्यीय आटो का आवागमन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी संख्या में छूट की सीमा के अनुसार होगा।

## (ii) मोटर कॅब को छोड़कर काट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर वाहन अधिनियम 1928 के अंतर्गत गैर अस्थायी परमिट) :

मोटर कॅब को छोड़कर अन्य काट्रेक्ट कैरिज वाहनों जिसमें रिक्शा संस्थानों की बसें शामिल हैं, जो विद्यार्थियों शिक्षा संस्थानों के कार्यालयों को इनकी सविधियों के संबंध में स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने वाले (सीएनजी) एनसीआर में दूर स्थानों का गमन करने वाले तथा क्षेत्रीय प्लान 2021 के पैरा 2.1 में यथापरिभाषित तथा घटक क्षेत्र में पंजीकृत संरक्षण, यदि कोई है, एनसीआर में पंजीकृत वाहनों के परमिटों को इन राज्यों द्वारा जारी किए जाने पर प्रतिभागी



राज्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसे कॉन्ट्रेक्ट कैरिज (मोटर कॅब को छोड़कर) जो एन० सी० आर० में पंजीकृत हैं तथा सीमा के आर-पार चलाए जा रहे हैं उनका परस्पर समझौते के अनुसार एक रंग कौड़ तथा लोगो दिशा जायेगा ताकि उनकी शीघ्रता से पहचान हो सके। इन सभी वाहनों में उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर दिए गए आदेशों के अनुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे।

(iii) कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अस्थायी परमिट):

इन राज्यों के परिवहन अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों की सहमति के बिना यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार विस्तारी की संख्या में परमिट जारी किए जा सकते हैं। परमिट में दौरा कार्यक्रम का विवरण, जाने तथा वापस आने की तिथियाँ, गिन स्थानों की साथ में यात्रा की जानी है उक्त क्रम, प्रत्येक स्थान पर पहुँचने तथा प्रस्थान की सही तिथि का विवरण दिया जायेगा। इन परमिटों में वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची भी दी जायेगी। इन सभी वाहनों में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गति नियंत्रण उपकरण लगे होंगे। ये वाहन एन० सी० आर० में प्रवृत्त गृहो नियमों के अनुसार स्वच्छ इंधन (सीएनजी) का प्रयोग करेंगे।

3. अस्थायी परमिटों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) विभिन्न प्रकार के अस्थायी परमिटों (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के लिए प्रत्येक मास अलग सूची जारी करके उसे अन्य राज्यों द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त या संबंधित सहाय प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

4. कराधान :

(1) सभी वाहनों (कॉन्ट्रेक्ट) की लाइसेंस/परमिट फीस/कर प्रतिहस्ताक्षर फीस प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपनी नीतियों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

(2) कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों पर एकल बिन्दु कर <sup>6</sup> एवं समान कर दरें लागू होंगी। जब तक समान दरों पर निर्णय नहीं हो जाता कर संग्रहण की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

(3) अस्थायी परमिट प्रवृत्त नियमों के अनुसार द्वि-बिन्दु कराधान <sup>6</sup> के आधार पर जारी किए जायेंगे तथा वाहनों को अन्य समझौते वाले राज्यों को देय कर का भुगतान करना होगा।

(4) इस समझौते के अंतर्गत जारी अस्थायी परमिटों के विषय में सूचना परमिट जारी करने वाले समझौते वाले राज्यों के परिवहन अधिकारण को सहायीय प्रदान की जायेगी जिसमें वाहन के स्वामी का विवरण वाहनों का पंजीकृत नमबर्/प्रदान किए गए परमिट का मार्ग तथा परमिट की वैधता की अवधि बतलाई जायेगी। वह सूचना संबंधी परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त या सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के नाम पर दी जायेगी।

## 5. सामान्य

- (i) पारस्परिक राज्य, इन राज्यों में अंतरराज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के कर टोकनों, ड्राइवर तथा कन्डक्टर लाइसेंस, परिवहन वाहन अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य द्वारा संबंधित नियमों के अधीन जारी किरानेस प्रमाण-पत्र को इस समझौते के अनुसार मान्यता प्रदान करेंगे।
- (ii) यह समझौता अगले दस वर्षों तक या छहक राज्यों द्वारा किसी नये समझौते के होने की अवधि, इनमें जो पहले हो, तक के लिए वैध होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो पाँच वर्षों के बाद समझौते की समीक्षा की जा सकती है। जबकि अन्य प्रासंगिक विषयों का समाधान समूह की वार्षिक बैठक में हल किया जा सकता है इन समझौते के धारकों में परिवर्तनों के लिए पुनः अधिश्रवण वार्षिक आधार पर जारी की जा सकती है।
- (iii) पारस्परिक समझौते की शर्तों के अंतर्गत जारी परमिट पर सामान्यतः उस राज्य के प्रतिहरताक्षर का तत्कालीन शुल्क तथा अन्य करों को भुगतान कर दिए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण या संबंधित राज्य की राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल हरताक्षर ही जाने चाहिए। यह केवल काटिंग करिज बसों/मिनी बसों के मामले में वैध होगा। मोटर कैब/टैक्सी तथा आटो रिक्शा के लिए कोई कर (सवारी/सबके कर) देय नहीं होगा।
- (iv) एन०सी०आर० राज्यों द्वारा निश्चित तद्वान भार की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- (v) जब तक इस विषय पर कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए जाते वाहन की आयुसीमा सी०एन०जी० वाहनों में पन्द्रह वर्ष तथा सीजल से चलने वाले वाहनों के लिए आठ वर्ष होगी।
- (vi) राज्य एन०सी०आर० जिलों के ड्राइवरों वाहन पंजीकरण तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का डाटा कंप्यूटरीकृत करने के लिए अर्थव्यय के अधीन पर कार्यवाही करेंगे। राज्य आर०एफ०आइ०डी० योग्य पंजीकरण प्लेटों के प्रयोगपुरानी पंजीकरण प्लेटों को चरणबद्ध रूप से बदलने, नये वाहनों में सी०पी०एन० वाहन ट्रेकिंग प्रणाली लगाने, परिवहन संबंधी विभिन्न करों को जमा करने के लिए ई-भुगतान के डिवाइस में तेजी लाने हेतु विशेष प्रयास भी करेंगे। ड्राइवरों की अंगुली-निशानों की बार-कोडिंग भी तैयार की जाएगी।

(vii) इस सन्ध दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में पर्यटन संख्या में रीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। समस्त संघटक राज्य तथा अन्य सम्बन्धी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीएनजी की यथाशीघ्र त्वरित उपलब्धता के लिए प्रयास करेंगे।

इसके साध्य के रूप में इसके पक्षों ने इस समझौते पर पहले बताये गये उपरोक्त दिन तथा वर्ष को हस्ताक्षर किए हैं।

हरियाणा सरकार के लिए तथा  
की ओर से

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए  
तथा की ओर से

(हो/-)

(हो/-)

(समीर माथुर)  
वित्त आशुक्त एवं प्रधानसचिव(परिवहन)  
परिवहन विभाग  
हरियाणा सरकार

(ए.के. चतुर्वेदी)  
विशेष आशुक्त  
परिवहन विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राजस्थान सरकार के लिए तथा  
की ओर से

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तथा  
की ओर से

(हो/-)

(हो/-)

(एन.एन. धनवी)  
प्रधान सचिव (परिवहन)  
परिवहन विभाग  
राजस्थान सरकार जयपुर

(गणेश्वर द्विवेदी)  
विशेष सचिव (परिवहन)  
परिवहन विभाग  
उत्तर प्रदेश, सरकार

साक्षी:

साक्षी:

(हो/-)

(हो/-)

(डॉ. नूर मोहम्मद)  
राजस्व सचिव  
एनसीआर योजना बोर्ड  
राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(सुरेन्द्र कुमार)  
जम्-सचिव (युटी)  
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

1. अन्ताराज्यीय यातायात का बेरोकटोक परिचालन उन वाहनों का वैरियर/सीमा पर बिना रुके परिचालन है जो एनसीआर के तिरिाँ में पंजीकृत हैं।
2. अन्ताराज्यीय यातायात का निर्बंध परिचालन रावारी वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना परिवहन प्रकार बदले अथवा यात्रा के प्रकारों में त्वरित व प्रभावी अंतरण के परिचालन है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा एनसीआर में यातायात के परिचालन के संबंध में समय-समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एन सी आर क्षेत्र में किया जाएगा और यह इस अनुबंध में सम्मिलित राज्यों पर भी लागू होगा, चाहे उनका उल्लेख हो या न हो।
4. आटो रिक्शा से आसानी है तीन-सीट वाले आटो रिक्शा जो सी.एन.जी ईंधन से चलते हों।
5. एकल बिन्दु कक्षाधान- संबंधित राज्यों को केवल सरकारी कर दिया जाएगा।
6. द्वि-बिन्दु कक्षाधान-संबंधित राज्यों को पथ कर तथा सवारी कर दोनों ही दिए जाएंगे।

परिशिष्ट-1


एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का अनुच्छेद 2.1

एनसीआर के संघटक क्षेत्र

- क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग कि०मी०)। यह शंपूर्ण एनसीआर क्षेत्र का 4.41% है।
  - ख) हरियाणा का उपक्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुरुगँव, रोहतक, सोनीपत, रिवांडी, झज्जर, मेवात तथा पानीपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 30.33%(13,413 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 39.95% है।
  - ग) राजस्थान का उपक्षेत्र जिसमें अलवर जिला सम्मिलित है। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 2.20% (7,829 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 23.32% है।
  - घ) उत्तर प्रदेश का उपक्षेत्र जिसमें मेरठ, गाँजिधवाय, गोराम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तथा बगपत जिले सम्मिलित हैं। यह राज्य के कुल क्षेत्र का 4.50% (10,853 वर्ग कि०मी०) तथा एनसीआर क्षेत्र का 32.32% है।
- इस प्रकार एनसीआर का कुल क्षेत्र 33,578 वर्ग कि०मी० है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्रीय योजना-2021 संघटक क्षेत्र के मातृचित्र 2.1 में निर्दिष्ट है।

परिशिष्ट II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
क्षेत्रीय योजना-2021: नुमायश



लीजेंड

- /— एन सीआर सीमा
- /— राज्य सीमा
- /— जिला सीमा
- जिला मुख्यालय

क्षेत्र-क्षेत्र	एरिया (वर्ग. मी.)
एन सीआर- दिल्ली	1,483
हरियाणा	13,413
राजस्थान	7,829
कु.पी.	10,865
कुल	33,570

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना समिति  
 मानचित्र 2.1

4854 D/G/08-2

## परिशिष्ट III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिचालन हेतु ऑटो रिक्शाओं की संख्या

राज्य	से	तक	ऑटो रिक्शाओं की संख्या
दिल्ली-उत्तरप्रदेश	दिल्ली	उत्तरप्रदेश	4000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	4000
दिल्ली-हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	4000
	हरियाणा	दिल्ली	4000
उत्तरप्रदेश-हरियाणा	उत्तरप्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तरप्रदेश	1000
राजस्थान-हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

## STATE TRANSPORT AUTHORITY

(Transport Department)

## NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2008

No. PCO (STA)/FFC Cell/06/07/PLU/482.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 48 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi after previous publication and taking into consideration any objections and suggestions received, hereby publishes the Reciprocal Common Transport Agreement among Governments of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of Contract Carriages in National Capital Region comprising parts of adjoining States to National Capital Territory of Delhi as defined in the Part 2.1 of the Regional Plan-2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Government  
of National Capital Territory of Delhi,  
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner



**RECIPROCAL COMMON TRANSPORT AGREEMENT AMONG THE  
GOVERNMENTS OF HARYANA, NCT OF DELHI, RAJASTHAN AND  
UTTAR PRADESH**

Whereas in the interest of facilitating development of an effective National Capital Region (NCR) comprising parts of adjoining States to Delhi i.e. Haryana, Rajasthan & Uttar Pradesh as defined in the Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and is at Annexure-I, there is dire need for unrestricted<sup>1</sup> and seamless<sup>2</sup> movement of interstate traffic in the National Capital Region i.e. among these States by a reciprocal common agreement. A map showing Constituents area of National Capital Region is at Annexure-II.

Now, therefore, the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh hereby agree on the following terms and conditions:-

This agreement is made on 14<sup>th</sup> day of October, 2008 among the Governments of Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh (which expression shall include their successor/assigns in office).

**WHEREAS**, it is expedient in view of the rapid economic development and environment of the National Capital Region to encourage unrestricted and seamless movement of interstate traffic of the passengers and goods in the NCR and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal common agreement among and through the Constituent States of NCR i.e. Haryana, NCT-Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh.

**AND WHEREAS** the parties hereto agree that this agreement supercedes all the previous agreements on the subject entered into between them or among them for NCR. This Agreement shall have an overriding effect over all the other Agreements hereby applicable to NCR in this regard.

**NOW THIS DEED WITNESSES** and the parties hereby mutually agree as follows:-

1. This agreement shall come into force with immediate effect. The Court Orders/ Directions specific to the movements of vehicle in an area will have to be obeyed<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Unrestricted movement of interstate traffic is the movement of vehicles registered in the NCR districts without stopping at barriers/borders.

<sup>2</sup> Seamless movement of interstate traffic is the movement of passenger vehicles from one State to another State without changing the mode of travel or quick and efficient transfer among modes in performance of the journey.

<sup>3</sup> Directions/Orders given by the Hon'ble Supreme/High Court related to movements of the traffic in the NCR on various occasions shall be enforced in NCR irrespective of their mention as applicable to the State concerned in this Agreement.

2. Contract Carriage Permits:(i) Motor Cab/ Taxi Permits (Non-Temporary Permits):

Contract carriage permits for motor cab/ taxi using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. Motor cabs/Taxis using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR, registered in Delhi, Sub-regions of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, comprising of National Capital Region area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, may move unrestricted and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. Auto-rickshaws<sup>1</sup> operating only on CNG fuel and registered in NCT-Delhi and Sub-regions of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh constituting National Capital Region as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, may move in the NCR and are exempted from paying passenger tax and road tax. No additional permit charges would be required to be paid in addition to permit charges paid in the State where the vehicle is registered in NCR. The auto-rickshaws and taxis registered in NCR and plying across the border would be given a colour code and logo for easy recognition. There would not be any kind of tax for taxis and auto-rickshaws registered in NCR entering into any area within NCR boundary. Interstate movement of auto rickshaws in NCR would be as per numbers given in Annexure III. Town/Districts wise allocation of permits/routes/areas in Haryana, NCT of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh would be made by the concerned State Governments or their departments depending upon the demand/potential in their districts/towns. However, countersigning of the permits for these vehicles would be required. Inter-state movement of auto-rickshaws in Delhi would be subject to the relaxation of ceiling on its numbers by the Hon'ble Supreme Court.

(ii) Contract Carriage Permits other than Motor cabs (Non Temporary Permits under the motor Vehicle Act, 1988):

Contract carriage permits for vehicles other than motor cabs, including educational institutional buses used solely for the purpose of transporting students / staff of the educational institutions in connection with any of its activities, using clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR and registered in NCR area as defined in Para 2.1 of Regional Plan-2021 for NCR and subsequent modification in the Constituent area, if any, will be required to be countersigned by participating States on being issued by any of these States. The contract carriages (other than motor cabs) registered in NCR and plying across the border

<sup>1</sup> Auto-rickshaws means three seater auto-rickshaws operating on CNG fuel.



would be given a colour code and logo for easy recognition. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time.

(iii) **Contract Carriage Permits (Temporary Permits under the motor Vehicle Act, 1988):**

Permits may be issued by the Transport Authority of these States irrespective of numbers without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the commuters/passengers. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys, the order in which the various places shall be visited along with and indication of the appropriate date of the arrival and the departure from each such place. These permits shall also contain list of passengers traveling in the vehicle. All these vehicles will be subject to speed controlled devices as per the orders of the Supreme Court issued from time to time. These vehicles shall use clean fuel (CNG) conforming to prevailing Euro norms in NCR.

3. **General Provisions for Temporary Permits:**

- (i) Separate list of different types of Temporary Permits (Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioners or concerned competent authority of each State by the other State.

4. **Taxation:**

- (1) The licence/permit fee/tax/countersignature fee for all the carriages (Contract) shall be fixed by the members of all the participating states as per their own policies.
- (2) Single point tax<sup>1</sup> and uniform tax rates shall apply to vehicles covered by contract carriage permits. Till uniform rates are decided, existing tax rates for collection of taxes may continue.
- (3) Temporary permits shall be issued on the basis of double point taxation<sup>2</sup> according to rules in force and the vehicles shall be liable to pay taxes due to the other reciprocating State.
- (4) Information regarding temporary permits issued under this agreement shall, as soon as possible, be given by the permit issuing Transport Authority, to the

<sup>1</sup>Single point taxation - only passenger tax to be paid to the concerned State.

<sup>2</sup>Double point taxation - road tax and the passenger tax both to be paid to the concerned State.



reciprocating State issuing the permit stating details of vehicle owner(s) registered laden weight of the vehicle/route for which the permit is granted and the period of validity of the permit. This information shall be given in the name of the Transport Commissioner or the Secretary, State Transport Department, as the case may be.

5. **General:**

- (i) The reciprocating States shall accord recognition of the Tax-tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorization and the certificate of fitness issued under the relevant rules of each of these States in respect of vehicles operating on Interstate routes, in accordance with this agreement.
- (ii) This agreement shall be valid for next ten years or till such time a new Agreement is signed among the constituent States which ever is earlier. The Agreement can be reviewed after five years, if need arises. While other peripheral issues can be sorted out in the annual meeting of the Group, a re-notification for the changes within the framework of the Agreement can then be done on annual basis.
- (iii) Permits issued within the terms of reciprocal agreement should normally be counter signed immediately on presentation before the Regional Transport Authority or the State Transport Authority of the concerning States, subject to payment of countersignature fee and other taxes due to that States for the time being. This is valid only in case of Contract Carriage buses/mini buses. In case of Motor cabs/Taxis & Auto rickshaws no taxes (passenger/road tax) shall be payable.
- (iv) Laden weight restriction fixed by NCR states shall not be exceeded.
- (v) The Age of the vehicle shall be limited to fifteen years for CNG vehicles and eight years for diesel operated vehicles till any further Directions are issued in this regard.
- (vi) The States shall take initiative to computerize the database of drivers, vehicle registration and other related information in the NCR districts on priority basis. States should also endeavor to implement the usage of RFID enabled registration plates, replace old registration plates in phased manner, GPS vehicle tracking system in new vehicles, expedite the implementation of e-payment for depositing various taxes related to transportation and ensure bar-coding of finger-prints of drivers.



- vii) At present sufficient number of CNG stations are not available in most of the areas of NCR other than Delhi. All the constituent States and other stakeholders will endeavour expediting the availability of CNG in NCR at the earliest possible.

**IN WITNESS THEREOF** the parties hereto have signed this agreement on day and year first above written.

**For and on behalf of the  
Government of Haryana:**

Sd/-  
(Samir Mathur),  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary (Transport),  
Transport Department,  
Government of Haryana

**For and on behalf of the  
Government of Rajasthan:**

Sd/-  
(S.N. Thaavi)  
Principal Secretary Transport,  
Transport Department,  
Government of Rajasthan, Jaipur

**Witness:**

Sd/-  
(Dr. Noor Mohammad)  
Member Secretary,  
NCR Planning Board,  
Ministry of Urban Development,  
Government of India

**For and on behalf of the  
Government of NCT of Delhi:**

Sd/-  
(A.K. Chaturvedi)  
Special Commissioner,  
Transport Department,  
Government of NCT-Delhi

**For and on behalf of the  
Government of Uttar Pradesh:**

Sd/-  
(Madhukar Dwivedi)  
Special Secretary (Transport),  
Transport Department,  
Government of Uttar Pradesh

**Witness:**

Sd/-  
(Surendra Kumar)  
Deputy Secretary (UT),  
Ministry of Urban Development,  
Government of India

ANNEXURE - IPara 2.1 of Regional Plan -2021 for NCR**CONSTITUENT AREAS OF NCR**


The Constituent Areas of the National Capital Region are as under: -

- a) National Capital Territory of Delhi (1,483 sq kms). This accounts for 4.41% of the total area of NCR.
- b) Haryana Sub-region comprising of Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Sonapat, Rewari, Jhajjar, Mewar and Panipat districts. This accounts for 30.33% (13,413 sq kms) of the area of the State and 39.95% of the area of NCR.
- c) Rajasthan Sub-region comprises of Alwar district. The area is 2.29% (7,829 sq kms) of the total area of the State and 23.32% of the area of NCR.
- d) Uttar Pradesh Sub-region comprising of five districts namely, Meerut, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr and Baghpat. This accounts for 4.50% (10,853 sq kms) of the area of the State and 32.32% of the area of NCR.

Thus, the total area of NCR is 33,578 sq kms as indicated in the Map 2.1 National Capital Region Regional Plan 2021: Constituent Areas.



ANNEXURE - II



## ANNEXURE - III

Numbers of auto-rickshaws for inter-state movement in NCR

States	From	To	Number of auto-rickshaws
Delhi-Uttar Pradesh	Delhi	Uttar Pradesh	4000
	Uttar Pradesh	Delhi	4000
Delhi-Haryana	Delhi	Haryana	4000
	Haryana	Delhi	4000
Uttar Pradesh-Haryana	Uttar Pradesh	Haryana	1000
	Haryana	Uttar Pradesh	1000
Rajasthan-Haryana	Rajasthan	Haryana	500
	Haryana	Rajasthan	500

8. Name of the bankers (attach reference from the bank) .....
9. Name of the auditors (a balance sheet and profit and loss statement pertaining to travel business as prescribed under the Company Law must be submitted by the applicants) .....
10. Income Tax Clearance Certificate from appropriate authorities .....
11. Activities undertaken by the firm besides travel arrangements .....
12. (a) Volume of tourist traffic handled up to the date of application showing foreign and domestic tourist traffic separately .....
- (b) Itinerary of any special tourist parties, their size, frequency of visit, etc. ....
- (c) amenities arranged for foreign tourists .....
- (d) steps taken to promote domestic tourist traffic and details of the parties handled, if any .....
- (e) promotional/publicity activities undertaken (with documentary proof) .....
13. (a) Branches of the firm in the country with complete address(es) .....
- (b) staff employed at the head quarter with their qualifications) .....
14. Particulars of their foreign firms, if any, with complete address and details of tourist traffic business connection .....
15. Name(s) of the approved tourist guide(s) being utilized by them .....
16. In case of any tie-up with airlines/brokers, Registration No. and date (with true copy attached) .....
17. Parking space available/proposed to be used .....
18. Particulars of drivers i.e. name, father's name, address, driving license number, badge number etc. ....
19. Particulars of vehicles used e.g. model, vehicle number etc. ....

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are true and I undertake to abide fully by the terms and conditions of the licence.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE APPLICANT/  
DIRECTOR/PARTNER, ETC. WITH SEAL)

Date .....

Place .....



By Order and in the Name of the  
Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi  
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

विधि व्यवस्था एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं. फा. 6/47/93-न्यायिक/Suptaw/419-429.—भारत न्यायिक एवं न्यायिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एम.एस.एम. मदनक चौधरी एवं स्वागत पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराधों पर विचारण हेतु विशेष न्यायालय के लिये, सुधी (विन्ड कीर को जलियाँ) राज न्याय-कोषाधिकार न्यायाधीश (एनटीसीएस) (दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तरी अक्षांश), दिल्ली के रूप में, उनके फायरिंग बरतन करने की विधि से, नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 6/47/93-JudL/Suptaw/419-429. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Mr. Ravinder Kumar as Additional Sessions Judge/Special Judge (NDPS) (South-West and Airports), Dwarka, as Special Court for trying offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 w.e.f. the date she takes over the charge.

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं. फा. 6/9/2001 न्यायिक/Suptaw/430-436.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं दिल्ली की दिनांक 14 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या गु.-11030/4/88-सूटीएल के माध्यम से राष्ट्रीय अपराध निरोधक अधिनियम, 1988 (1988 अधिसूचना संख्या 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल चिन्मयिणी अतिरिक्त एवं न्यायाधीशों को विशेष पुलिस स्थानों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त किये गये और भेजे गये अपराधों के मामलों पर न्यायिक चलावे के लिये विशेष न्यायाधीश पदनामित करते हैं और वे अपने उत्तरदायी कार्यनिर्वाह की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट करते हैं कि न्यायिक अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी अपराध निरोधक न्यायाधीशों के द्वारा अपने कार्यालयों के कार्यवाही प्रदान करने की विधि से सुन लिये जायेंगे।—

1. श्री राजेश सिन्हा, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को तीन हजार न्यायिक पदों पर न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में (अपराध निरोधक अधिनियम)-06।
2. श्री अमरनाथ, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को रोहिणी में विशेष न्यायाधीश के रूप में (अपराध

निरोधक अधिनियम)-02, श्री चन्द्रशेखर को इन पर।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,  
सचिव राज, संयुक्त सचिव

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 6/9/2001-JudL/Suptaw/430-436. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U-11030/4/88-U/L dated 14th February, 1989, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the following Additional Sessions Judges, Delhi as Special Judges for trial of corruption cases investigated and sent by the Special Police establishment and the Delhi Police and he is further pleased to specify under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, that all offences specified in sub-section (1) of Section 3 of the said Act shall be tried and disposed of by the said Special Judges with effect from the dates they take over their respective charges:—

1. Mr. Rakesh Siddhartha, a member of Delhi Higher Judicial Service as Special Judge (PC Act)-06, Tis Hazari Courts, in a new court.
2. Mr. Amar Nath, a member of Delhi Higher Judicial Service as Special Judge (PC Act CB)-02, Rohini in place of Mr. Chander Shekhar.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,

SAVITA RAO, D. Secy.

परिचयन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सं.फा. 23(127)/2007/परिचयन/ओप/82-

दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 58) की धारा 212 तथा धारा 2 के खंड (4) के माध्यम से धारा 95 की उप-धारा (2) के खंड (xxviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 18 अगस्त, 2008 को दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1983 में संशोधन के पूर्व प्रकाशन के परसू तथा किन्हीं अपराधों और राज्यों पर विचार के अर्थ 45 दिनों के बर्तन होने के परसू, विचारों में निम्न रूप से संशोधन करते हैं।

1. सचिव शीर्षक तथा प्रारंभ—(1) इन दिनों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाय।

(2) ये दिल्ली राजधानी क्षेत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।



2. नियम 2 का संशोधन.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (इसके पर्याप्त "नूतन नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 2 के उपनियम (1) में—

- (i) खंड (एन) के पर्याप्त निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्—  
" (एनएन) 'सचिव (पर्यटन)' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख;"
- (ii) खंड (एन) के पर्याप्त निम्नलिखित खंड को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :  
" (एनएनए) 'पर्यटन विभाग' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग;"

3. नियम 81 में संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 81 में—

- (क) उप नियम (1) में खंड (आई) में 'सचिव (परिवहन)' शब्दों और कोष्ठक जो अंत में आते हैं 'सचिव (पर्यटन)' शब्दों तथा कोष्ठक को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ख) उप नियम (2) में "राज्य सरकार को की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को प्रपत्र टी.टी.ओ. सहित किया जाएगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(ग) उपनियम (15) में—

- (i) खंड (क) में "सचिव (परिवहन)" शब्दों और कोष्ठक जो अंत में आते हैं "सचिव (पर्यटन)" शब्दों तथा कोष्ठक को प्रतिस्थापित किया जायेगा,
- (ii) खंड (ग) में अंत में आने वाले "सचिव (पर्यटन/परिवहन) नियुक्त कर सकता है" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर "सचिव (पर्यटन) नियुक्त कर सकता है" शब्दों और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. नया फार्म टी.टी.ओ. का सन्निवेश.—मूल नियमावली में फार्म टी.टी.ओ. के मन्दात् तथा फार्म टी.टी.ओ. (ए) से पहले निम्नलिखित फार्म को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्—

"फार्म टी.टी.ओ."

(दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 नियम 81 देखें)

ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन

सेवा में,

लाइसेंसिंग अधिकारी (पर्यटन)  
पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार  
कमरा नं. 178-183, पुराना सचिवालय,  
दिल्ली-110 084।

सहोदय/महोदय।

मैं इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2(टी) तथा 81 के अनुसार ट्रेवल एजेंट/टूर ऑपरेटर/भ्रमण एजेंट आदि के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा हूँ जिसके दिने मैं 2000 रुपये में जीकरण शुल्क तथा 10000 रुपये निश्चित प्रतियोगिता इन्सुरेंस प्रदान कर रहा हूँ।

इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित विवरण यहाँ अंगे दिया गया है :-

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 1. | (क) व्यक्ति/फर्म का नाम तथा पता  | _____ |
|    | (ख) दूरभाष संख्या  | _____ |
|    | (ग) टेलीफैक्स  | _____ |
| 2. | फार्म के कार्यविषय का वर्ष   | _____ |
| 3. | फर्म ओपराइटर/भागीदारी/मित्री या सार्वजनिक लिमिटेड प्रकार की है (फार्म के नामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रती संलग्न करें) | _____ |
| 4. | फार्म के पंजीकरण का मास तथा तारीख सरकारी साक्ष्य लगाएँ   | _____ |
| 5. | बैंक में वित्तीय स्थिति (सूचक पत्र संलग्न करें)  | _____ |
| 6. | निदेशक/भागीदारी आदि का नाम   | _____ |

7. निदेशक/भागीदारी का हिस्सा अन्य व्यापार में हिस्से का विवरण \_\_\_\_\_
8. बैंकर का नाम (संदर्भ संलग्न करें) \_\_\_\_\_
9. लेखा परीक्षक का नाम (कंपनी विधि में वशनिर्धारित ट्रैपल व्यापार संबंधी लागू व हानि का तुलन पत्र आवेदन के साथ जमा करें) \_\_\_\_\_
10. समुचित अधिकारी से आकर भुगतान प्रमाण-पत्र \_\_\_\_\_
11. फर्म द्वारा ट्रैपल व्यवस्था से अलावा अन्य क्रिया-कलाप \_\_\_\_\_
12. (क) आवेदन की तिथि तक पर्यटकों को संभालने की मात्रा \_\_\_\_\_  
 विदेशी तथा पर्यटक अलग-अलग त्रस्तियों \_\_\_\_\_
- (ख) माहल : कोई विशेष पर्यटन पार्टी, उच्चता आकार, वीरे की अपूर्तिवां आदि \_\_\_\_\_
- (ग) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सुविधाएं \_\_\_\_\_
- (घ) पर्यटन आंगणुकों को प्रोत्साहन देने के लिए लड़ाए गए बंधन तथा आंगुतक नदियों का विवरण, यदि कोई है- \_\_\_\_\_
- (ङ) प्रोत्साहन/प्रचार कार्य (सुरतामेव राज्य सहित) \_\_\_\_\_
13. (ख) देश में फर्म की शाखाएँ पूरे पते सहित \_\_\_\_\_
- (ग) मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी तथा उनकी योग्यताएँ \_\_\_\_\_
14. विदेशी जर्मों का विवरण, यदि कोई है, उनका पूरा पता तथा पर्यटकों के व्यवसाय संबंधों का विवरण \_\_\_\_\_
15. अनुमोदित पर्यटक राईड का नाम जिसका प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है \_\_\_\_\_
16. यदि एयर लाइन/कोरिडोर से कोई समझौता है तो पंजीकरण संख्या तथा तिथि (सत्यापित प्रति संलग्न करें) \_\_\_\_\_
17. प्रयोग के लिये प्रस्तावित पार्किंग स्थान \_\_\_\_\_
18. ड्राइवर्स के विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, पता, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, बैज संख्या आदि \_\_\_\_\_
19. प्रयोग किए गए वाहनों का विवरण जैसे माहल, वाहन संख्या आदि । \_\_\_\_\_

में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है तथा मैं लाइसेंस की शर्तों का पूर्णतया पालन करूँगा।

दिनांक :  
 स्थान :

भवदीय,  
 (अधीनक/निदेशक/भागीदारी आदि  
 के हस्ताक्षर प्रेषित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
 उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
 आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

#### TRANSPORT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2009

No. F. 23 (127)/2009/Tpr./Ops.92.—In exercise of the powers conferred by clause (xxviii) of sub-section (2) of Section 96 read with clause (41) of Section 2 and Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the

114306/09-3

Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior publication of the amendments in Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 on 19th August, 2008 and after passing of 45 days since then for taking into consideration any objections and suggestions, is pleased to amend the rules as follows,—

1. Short title and commencement. (1) These Rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 2.—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter referred to as "the principal Rules") in rule 2, in sub-rule (1) —

- (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

"(aa) "Secretary Tourism" means the Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi, in charge of the Tourism Department;"

- (ii) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ss) "Tourism Department" means the Tourism Department of the Government of National Capital Territory of Delhi;"

3. Amendment of Rule 81.—In the principal rules, in rule 81,—

- (a) in sub-rule (1), in clause (i), for the words and brackets "Secretary (Transport)", occurring

at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism)", shall be substituted;

- (b) in sub-rule (2), for the words "shall be made to State Government", the words "shall be made to Tourism Department of the State Government in form T.T.O. along with" shall be substituted;

- (c) in sub-rule (3)—

- (i) in clause (a), for the words and brackets "Secretary (Transport)", occurring at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism)", shall be substituted;

- (ii) in clause (c), for the words and brackets "Secretary (Tourism/Transport) may appoint", occurring at the end, the words and brackets "Secretary (Tourism) may appoint" shall be substituted.

4. Insertion of new form T.T.O.—In the principal rules, after form T.V.C. and before form P.S.U. (A), the following form shall be inserted, namely:—

"FORM T.T.O."

[See Rule 81 of Delhi Motor Vehicles Rules, 1993]

APPLICATION FOR A LICENCE AS TRAVEL AGENT/TOUR OPERATOR/EXCURSION AGENT ETC.

To

The Licensing Authority (Tourism),  
Tourism Department,  
Govt. of N.C.T. of Delhi,  
Room No. 176-183, Old Secretariat,  
Delhi-110054

Sir/Madam,

I hereby apply for the license of a Tour Operator/Travel Agent/Excursion Agent as per Rules 2(i) and 81 of the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, for which I hereby tender registration fee of Rs. 2000 and Security Draft of Rs. 10000, as prescribed under the same.

The particulars required for the purpose are given hereunder:—

1. (a) Name of the person/firm with address(es) .....
- (b) Telephone No. (s) .....
- (c) Telex .....
2. Year the firm started working .....
3. Whether the firm is proprietary/partnership/ Private or public limited (please attach copy of Certificate of Registration in case of a firm) .....
4. Month and date when the firm was registered with documentary proof .....
5. Financial position in Bank (please attach Balance sheet) .....
6. Name(s) of the Director/Directors/partner/partners, etc. ....
7. Details of interests, if any, in any other business of the Director/Directors/partner/partners etc. ....